

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री जयसिंह आर.ए.एस.



मि०न० - 05/2018 (2018/00021)

अनवान : -

1. धर्माराम पुत्र ईशरराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।

प्रार्थी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :- श्री बलवन्त सिंह प्रार्थी
राज पैरोकार अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 08/01/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम मलसीसर के वर्तमान खाता सं 38/40 के खसरा नम्बर 688 की 8.3470 है0 व खसरा नम्बर 697 की 8.473 है0 इस प्रकार कुल खसरा 2 की कुल 16.8200 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम धन्ना पुत्र ईशर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम धर्माराम की बजाए धन्ना दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी के पिता ईशर के धन्ना नामक कोई लड़का नहीं है। प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड में भी प्रार्थी का नाम धर्माराम पुत्र ईशर दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत मलसीसर के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में धर्माराम की बजाये धन्ना दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम धन्ना के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम धर्माराम दर्ज करा पाने का मजाज कानूनी है।

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम धर्माराम के स्थान पर धन्ना दर्ज होने से प्रार्थी राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों से लेनदेन एवं अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं को ऑनलाईन लाभ में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी का नाम धन्ना दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंचित होना पड़ता

है। प्रार्थी के मलसीसर के वर्तमान खाता सं 38/40 के खसरा नम्बर 688 की 8.3470 है0 व खसरा नम्बर 697 की 8.473 है0 में प्रार्थी का नाम धर्मराम दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नहीं होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार भादरा की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें नाम संशोधन करने की अभिशंका की गई है, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने मलसीसर के वर्तमान खाता सं 38/40 के खसरा नम्बर 688 की 8.3470 है0 व खसरा नम्बर 697 की 8.473 है0 इस प्रकार कुल खसरा 2 की कुल 16.8200 हैक्टेयर में अपना नाम दुरुस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि "प्रार्थी का नाम जमाबन्दी तैयार करते समय प्रार्थी का सही नाम धर्मराम पुत्र ईशर के स्थान पर धन्ना पुत्र ईशर दर्ज हो गया।" जिसके समर्थन में प्रार्थी ने प्रति आधार कार्ड, पहचान पत्र व राशनकार्ड पेश किये हैं जिनमें प्रार्थी का नाम धर्मराम पुत्र ईशर अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा ग्राम मलसीसर के वर्तमान खाता सं 38/40 के खसरा नम्बर 688 की 8.3470 है0 व खसरा नम्बर 697 की 8.473 है0 इस प्रकार कुल खसरा 2 की कुल 16.8200 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम "धन्ना के स्थान पर धर्मराम" दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था से देय बकाया हो तो उसके लिए धन्ना ही प्रभावी माना जायेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले

में सुनाया गया।



SV

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़